



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1992 (श्रावण 3, 1914)  
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1992 (SRAVANA 3, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएँ जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएँ सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक,

(भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में)

बम्बई-400023, दिनांक 8 जुलाई 1992

सं० एन० एच० बी० एच० एफ० सी० डी० आई०  
आर० 2/सी० एम० डी०-91, दिनांक 26 जुलाई, 1991—  
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का  
53वां) की धारा 30 और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
और इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, और इस बात से आश्वस्त होते हुए कि ऐसा  
करना लोकहित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आवास बैंक  
एक प्रमुख अभिकरण के रूप में एतद्द्वारा निर्देश देता  
है कि आवास वित्त कम्पनियाँ निर्देश, 1989 को तत्काल  
प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :—

1. पैरा 9 में

“26 जून, 1989 को तथा उस तारीख से” और  
“14 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज” शब्दों के स्थान  
1-169GI/92

पर क्रमशः “27 जुलाई, 1991 को तथा उस तारीख  
से” और “15 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज” शब्द  
प्रतिस्थापित होंगे ।

2. पैरा 10 में

पहले उप-पैरा के पहले परन्तुक के बाद निम्न-  
लिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्, “परन्तु यह और कि  
ऐसी जमा रकम पर, जिसकी वापसी अदायगी आवास  
वित्त कम्पनियों द्वारा उस जमा रकम की तारीख से 24  
महीने की अवधि से पहले कर दी जाती है, कोई  
ब्याज नहीं दिया जाएगा । जमा रकम की परिपक्वता  
तारीख से पहले किसी भी समय जमाकर्ता की मृत्यु हो  
जाने की दशा में जमा रकम की वापसी अदायगी जमा-  
कर्ता के नामित/कानूनी वारिस को जमा रकम की वापसी  
अदायगी की तारीख तक अनुबंधित ब्याज दर पर की  
जानी चाहिए । तथापि, जमाकर्ता को जमा रकम के 75  
प्रतिशत तक की रकम ऐसी जमा पर देय ब्याज की दर

(2981)

से 2 प्रतिशत बिन्दु अधिक की दर के ब्याज पर ऋण के रूप में दी जा सकती है, परन्तु यह ऋण ऐसी जमा की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही दिया जाएगा।”

एम० जे० फेरवानी,  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सं० एन० एच० बी० एच० एफ० सी० डी० आई० आर० 3/सी० एम० डी०-91, दिनांक 23-9-1991  
—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53वां) की धारा 30 और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसको सामर्थ्यकारी बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक, एक प्रमुख अभिकरण के रूप में इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निदेश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (एन० एच० बी०) निदेश, 1989 में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

#### 1. पैरा 3 का उप-पैरा (vi)

“.....प्रतिभूति जमा के रूप में” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्दों/परन्तुक को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“अपने कर्तव्यों के सम्यक पालन के लिए।

परन्तु ऐसी प्रतिभूति जमा की रकम को किसी अनुसूचित बैंक अथवा डाकघर में कर्मचारी और कम्पनी के संयुक्त नामों में इस शर्त के साथ जमा कराया जाए कि :—

(क) इसे कर्मचारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं निकाला जाएगा, और

(ख) इसे कर्मचारी को उसकी नियोजन की शर्तों के अनुसार बैंक/डाकघर द्वारा जमा खाते पर अदा किए गए ब्याज सहित वापस किया जाएगा।”

#### 2. पैरा 9(क) में

“.....15 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्दों/परन्तुक को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“जिसे तिमाही आधार पर लागू किया जाएगा।

परन्तु जहाँ ब्याज की अदायगी कम अन्तरालों में की जाती है, ऐसे ब्याज पर बढ़टा काटा जाएगा ताकि ब्याज की रकम तिमाही अन्तरालों पर निर्धारित ब्याज से अधिक न हो।”

#### 3. पैरा 10 में

निम्नलिखित को पैरा 10-क के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“जहाँ कोई आवास वित्त कम्पनी किसी वर्तमान जमाकर्ता को उच्च ब्याज दर के लाभ के लिए जमा रकम का परिपक्वता तारीख से पहले नवीकरण करने की अनुमति प्रदान करती है, ऐसी कम्पनी जमाकर्ता को बढ़ी हुई ब्याज दर का भुगमान करेगी बशर्ते कि :—

(i) जमा रकम का नवीकरण इन निदेशों के अन्य उपबंधों के अनुसार और मूल संविदा की बकाया अवधि में अधिक अवधि के लिए किया जाता है, और

(ii) जमा रकम की समाप्त अवधि का ब्याज संवेदित दर और/या पहले अदा की गयी दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम किया जाए और वसूल/समायोजित किया जाए।

#### 4. पैरा 16

वर्तमान पैरा 16 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“16. विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण :—

(1) प्रत्येक आवास वित्त कम्पनी गैर-बैंककारी और प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के उपबंधों का अनुपालन करेगी और उसके अन्तर्गत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करेगी :

(क) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिफल की वास्तविक दर,

(ख) जमाकर्ता को अदायगी की विधि,

(ग) जमा की परिपक्वता अवधि,

(घ) विनिर्दिष्ट जमा पर देय ब्याज

(ङ) यदि जमाकर्ता जमा रकम को परिपक्वता अवधि से पहले निकालना है तो उसे दिए जाने वाले ब्याज की दर, वे शर्तें जिनके अध्याधीन जमा रकम का नवीकरण किया जाएगा, और

(च) शर्तों से संबंधित अन्य कोई विनिर्दिष्ट बात जिसके अध्याधीन जमा रकमों को नवीकरण किया जाता है।

(2) यदि कोई आवास वित्त कम्पनी किसी पूर्ण व्यक्ति को ऐसी जमा रकमों के लिए योग्य या अनुमानित या हारित किए बिना जमा रकमों को नवीकरण करती है, तो उसे ऐसी जमा रकमों को नवीकरण करने से पूर्व

राष्ट्रीय आवास बैंक, बम्बई के कार्यालय में विज्ञापन के स्थान पर एक विवरण पंजीकृत करवाने के लिए प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी और प्रकीर्ण गैर-बैंककारी कम्पनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जाने वाले सभी व्योरे दिए गए हों।

(3) उप-पैरा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरण, इसे प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि की समाप्ति तक या उस तारीख तक जब आवास वित्त कम्पनी अपने तुलन-पत्र को साधारण बैठक में प्रस्तुत करती है या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक नहीं की गयी है, ऐसे मामले में, उस तारीख तक जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार उक्त बैठक के बुलाए जाने की अन्तिम तारीख हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक वैद्य होगा, और प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय वर्ष के लिए जमा रकम स्वीकार करने से पहले नया विवरण दाखिल करना होगा।”

एम० जे० फेरवानी,  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक